कार्यालय परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड, जिला–धमतरी(छ0ग0)

क्रमांक/ **476/मबावि/आ.बा.नियु./2026–27** **मगरलोड** , दिनांक **22/10/2026**

//प्रेस विज्ञप्ति//

एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड जिला–धमतरी में निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाडी सहायिका द्वारा **त्याग पत्र प्रस्तुत किये जाने की प्रत्याशा में *आंगनबाड़ी सहायिका*** पद हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

संचालनालय महिला एवं बाल विकास छ.ग इन्द्रावती भवन ब्लॉक–1 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र कं/IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION IT/ नवा रायपुर दिनांक 05.01.2026 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पदों में ई–भर्ती ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिए गए है।

दिये गये निर्देश के परिपालन में परियोजना अंतर्गत निम्नानुसार आंगनबाडी केन्द्र में आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पद हेतु इच्छुक पात्र महिलाएं (उसी ग्राम/पारे/टोल की निवासरत) ई–भर्ती पोर्टल का URL: - https://aww.e-bharti.in/ में दिनांक 22 अक्टुबर 2026 से 06 नवम्बर 2026 समाप्ति तक नियमानुसार समस्त संलग्न प्रमाण पत्र सहित ऑनलाईन आवेदन कर सकते है, निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् आवेदन आमान्य की जावेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं भर्ती संबंधी नियमावली/निर्देश एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत एवं परियोजना कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है ।

टीप :– आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकृत किए जायेगें।

(अ) रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है

क0	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड/ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
01	मगरलोड	**मगरलोड**	कमरौद	चारभांठा(कमरौद)	चारभांठा(कमरौद)	**आं.बा.सहायिका**

पृ.क./ 477/मबावि/आ.बा.नियु./2026–27 **मगरलोड ,दिनांक– 22/10/2026**

प्रतिलिपिः–

1 जिला जनसम्पर्क अधिकारी, धमतरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित है कृपया उक्त प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें ।

(सुमीत गंडेचा)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मगरलोड जिला–धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड जिला–धमतरी(छ0ग0)

क्रमांक / **478 / मबावि / आ.बा.नियु. / 2026–27** **मगरलोड** , दिनांक **22 / 10 / 2026**

प्रति,

सरपंच / सचिव
ग्राम पंचायत कमरौद, विकासखण्ड मगरलोड
जिला–धमतरी(छ0ग0)

विषय :– आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों की पुर्ति के संबंध में।

–––––000–––––

उपरोक्त विषयांन्तर्गत आपके ग्राम पंचायत कमरौद अंतर्गत आश्रित ग्राम चारभांठा अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र **चारभांठा(कमरौद) मे** आंगनबाड़ी सहायिका पद पूर्ति हेतु **ऑनलाईन** आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता हैं। **दिये गये निर्देश के परिपालन में परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र चारभांठा(कमरौद) में आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों हेतु इच्छुक पात्र महिलाएं (उसी ग्राम / पारे / टोल की निवासरत) ई–भर्ती पोर्टल का URL: - https://aww.e-bharti.in/ में दिनांक 22 अक्टुबर 2026 से 06 नवम्बर 2026 समाप्ति तक नियमानुसार समस्त संलग्नक प्रमाण पत्र सहित ऑनलाईन आवेदन कर सकते है, निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन आमान्य की जावेगी।**

टीप :– आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकृत किए जायेगें।

1. पत्र के साथ प्रेषित आवेदन आमंत्रण की सूचना एवं **आंगनबाड़ी सहायिका** पद हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु इच्छुक महिलाओं की जानकारी हेतु संबंधित कार्यालय ग्राम पंचायत / वार्ड / ग्राम में चस्पा करें। चस्पा करने का प्रमाण –पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. आंगनवाड़ी सहायिका के **ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रण** हेतु ग्राम में मुनादी अवश्य करावें तथा मुनादी कराये जाने का प्रमाण– पत्र एवं पंचनामा इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रस्तुत करें।

अतः रिक्त आगनबाड़ी केन्द्र में **ऑनलाईन** आवेदन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार एवं मुनादी ग्राम पंचायत / ग्राम स्तर पर कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–**1.आवेदन आमंत्रण का ज्ञापन 2. मुनादी का पावती**

(सुमीत गंडेचा)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मगरलोड जिला–धमतरी (छ.ग.)

पृ.क्र. / 479 / मबावि / आ.बा.नियु. / 2026–27 **मगरलोड दिनांक–22 / 10 / 2026**

प्रतिलिपिः– 1. माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत मगरलोड ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी,महिला एवं बाल विकास जिला–धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संबंधित पर्यवेक्षक, सेक्टर.....को पालनार्थ।

22.10.26
(सुमीत गंडेचा)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मगरलोड जिला–धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड जिला–धमतरी(छ0ग0)

क्रमांक/ 480/स्था./आ.बा.नियु./2026–27 मगरलोड दिनांक 22.10.2026

//ज्ञापन//

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि छ.ग.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के निर्देशों के तहत् एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड, में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु **ऑनलाईन आवेदन** पत्र आमंत्रित किया जाता है

संचालनालय महिला एवं बाल विकास छ.ग इन्द्रावती भवन ब्लॉक–1 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर का पत्र कं/IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION IT/ नवा रायपुर दिनांक 05.01.2026 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पदों में ई–भर्ती ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिए गए है।

दिये गये निर्देश के परिपालन में परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहायिका के रिक्त पद हेतु इच्छुक पात्र महिलाएं (उसी ग्राम/पारे/टोल की निवासरत) ई–भर्ती पोर्टल का URL: - https://aww.e-bharti.in/ में दिनांक 22 अक्टुबर 2026 से 06 नवम्बर 2026 समाप्ति तक नियमानुसार समस्त संलग्नक प्रमाण पत्र सहित ऑनलाईन आवेदन कर सकते है, निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन आमान्य की जावेगी। आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती संबंधी नियमावली/निर्देश एवं कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है।

(अ) रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है

क्र0	परियोजना का नाम	सेक्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड/ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
01	**मगरलोड**	**मगरलोड**	**कमरौद**	**चारभांठा(कमरौद)**	**चारभांठा(कमरौद)**	**आं.बा.सहायिका**

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं हैं :–

(1.1) आंगनवाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। आंगनबाड़ी सहायिका को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जावेगा ।

(1.2) आंगनबाड़ी सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे।

(1.3) आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए आयु सीमा 18 से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी ।

(1.4) 01 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ संगठिका/ सह–कार्यकर्ता को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष तक की छूट दी जावेगी । 01 वर्ष से कम अनुभव के आवेदिका को आयु सीमा की छूट की पात्रता नहीं होगी। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्ण में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हें दोबारा सेवा में नही लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना के परियोजना अधिकारी /शहरी विशेष पोषण आहार कार्यक्रम के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा ।

(1.5) जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहां पद रिक्त है, आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा :–

(क.) उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे ।

//अथवा//

(ख.) **निवास के सबंध में संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच/सचिव द्वारा जारी सयुक्त हस्ताक्षर युक्त अद्यतन निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।** अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो ।

टीपः यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा ।

(1.6) (क.) आंगनबाड़ी **सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होगा।**

(ख.) यदि किसी केन्द्र में **सहायिका पद हेतु 8वीं उत्तीर्ण आवेदिका एक भी आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण रखी जावेगी।**

(ग.) **यदि किसी केन्द्र में सहायिका पद हेतु पांचवीं उत्तीर्ण आवेदिका भी नहीं मिलती है तो जिला कलेक्टर की स्वीकृति लेकर साक्षर महिला की भी नियुक्ति की जा सकती है।**

(1.8) यदि चयन प्रक्रिया से जुड़े जनप्रतिनिधि के सगे संबंधियों (छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में परिभाषित अनुसार) एवं शासकीय सेवक के सगे संबंधियों द्वारा आवेदन किया गया हो तो वह चयन हेतु अर्ह होगें तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय सेवक की जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं को चयन प्रक्रिया से पृथक रखें एवं उन्हें पृथक रखा जावेगा ।

(1.9) अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदिकाओं हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(1.10) आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक निर्धारित किये गये है। इस हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण :– (क) परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा –

(1) **संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत किया जावें ।**

(2) न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश ।

(ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होंगी ।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(घ) परित्यक्ता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा ।

1.11 सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित कर लगाये जावेंगे ।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है ।

टीप :–

(1) अजा/अजजा हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर निर्धारित अंक की पात्रता होगी ।

(2) गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र के संबंध में संशोधित निर्देश संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन अटल नगर नवा रायपुर अनुसार बीपीएल सूची 2002 के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्र में **सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के अंतर्गत (क) स्वतः शामिल सूचकांक तथा (ख) वचन सूचकांक अंतर्गत** आने वालें परिवार की सदस्य होने तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी । प्रारूप संलग्न है।

स्पष्टीकरणः–

(क) स्वतः शामिल सूचकांक अंतर्गत पात्रताः–

01. बैघर परिवार।
02. निराश्रित/भिक्षुक।
03. मैला ढोने वाले।
04. आदिम जनजाति समूह।
05. कानूनी रूप से विमुक्त किये गये बंधुवा मजदूर

क्रमशः.....03

(ख) वंचन सूचकांक अंतर्गत पात्रताः–

D1. कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार।

D2. परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

D3. महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है।

D4. निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार।

D5. ज.जा./अ.ज.जा.परिवार।

D6. ऐसे परिवार जहॉ 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यस्क साक्षर नहीं है।

D7. भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाडी मजदूी से प्राप्त करते है।

(3) **विधवा/परित्यक्ता एवं तलाकशुदा (न्यायालयीन आदेश) हेतु सरपंच एवं सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करने पर निर्धारित अंक की पात्रता होगी ।**

(4) अनूसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन करने पर अतिरिक्त निर्धारित अंक की पात्रता होगी।

(5) **कक्षा 05वीं अथवा कक्षा 08वीं परीक्षा उत्तीर्ण आवेदिका द्वारा उत्तीर्ण ग्रेड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। प्राप्त ग्रेड अनुसार संबंधित शिक्षा संस्थान से स्पष्ट प्राप्तांकों, पूर्णाकों का एवं प्राप्त प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेखित अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर संलग्न करने की स्थिति में ही मूल्यांकन किया जावेगा। स्पष्ट उल्लेखित अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित का आवेदन अमान्य माना जावेगा।** जिसके लिए आवेदिका स्वयं जिम्मेंदार होंगे।

(6) आवेदन पत्र आमंत्रण की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार अंक प्रदाय कर प्रथम योग्यता सूची जारी कर **दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड की जावेगी,जिसकी सूचना पृथक से संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से मुनादी कर सूचित किया जावेगा।** प्रत्येक अभ्यर्थी उक्त ऑनलाईन सूची में अपने नाम के सम्मुख अंकित जानकारी एवं प्रदाय अंकों का अवश्य अवलोकन करेंगे तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में **ऑनलाईन दावा आपत्ति आवेदन** प्रस्तुत कर सकते है ।

(सुमीत गंडेचा)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मगरलोड जिला–धमतरी(छ0ग0)

पृ.क्र./ **481**/मबावि/स्था./आ.बा.नियु./2026–27 मगरलोड , दिनांक **22/10/2026**

प्रतिलिपिः–

01. कलेक्टर महोदय, धमतरी–जिला धमतरी को सादर सूचनार्थ ।
02. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास धमतरी को सादर सूचनार्थ ।
03. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मगरलोड को सादर सूचनार्थ ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मगरलोड को सूचनार्थ ।
05. जनपद सदस्य/सरपंच/सचिव क्षेत्र को सूचनार्थ ।
06. संबंधित पर्यवेक्षक, सेक्टर.....को पालनार्थ ।

(सुमीत गंडेचा)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मगरलोड जिला–धमतरी(छ0ग0)

／／मुनादी प्रमाण पत्र／／

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सरगी ग्राम पंचायत कमरौद विकासखण्ड मगरलोड अंतर्गत आश्रित ग्राम चारभांठा(कमरौद) में संचालित आंगनबाडी केन्द्र चारभांठा(कमरौद) में आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पद पूर्ति हेतु आज दिनांक.....को ग्राम में ग्राम कोटवार द्वारा मुनादी कराया गया।

हस्ताक्षर
सरपंच／सचिव
ग्राम पंचायत सरगी विकासखण्ड मगरलोड
जिला धमतरी(छ0ग0)